राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर

क्रमांकः—प.6(अ)(1)समु/प्रस्था/पट.नियुक्ति/2026/ दिनांकः—

—: आदेश :—

पटवारी भर्ती परीक्षा, 2025 में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों में से निबंधक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के पत्रांक 12066—108, दिनांक 03.08.2026 द्वारा नियुक्ति हेतु इस विभाग को आवंटित किये गये अभ्यर्थियों की सूची अनुसार राजस्थान भू राजस्व (भू अभिलेख) नियमावली, 1957 के नियम—4 एवं राजस्थान भू राजस्व (भू अभिलेख, भू प्रबन्ध एवं उपनिवेशन) अधीनस्थ सेवा नियम, 2019 में वर्णित प्रावधानानुसार एवं तत्पश्चात् समय—समय पर जारी अधिसूचना/निर्देशों/परिपत्रों के अध्यधीन निम्नांकित अभ्यर्थियों को दो वर्ष की कालावधि के लिए उपस्थिति देने की तिथि से नीचे अंकित शर्तों के अध्यधीन एतद् द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु पटवारी के पद पर नियुक्त किया जाता है :—

Sr.No.	Merit No.	Roll No.	Name	Father's Name	Sel.Cat.	DOB	HRZ
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	38918	470947	RAVINDRA SINGH	NEEMB SINGH	EWSM	01-03-2004	SP
2.	176251	553850	NARENDER KUMAR SWAMI	DALIP SWAMI	OBCM	04-06-1994	OLL
3.	89	594080	NARESH GUPTA	GOPAL LAL GUPTA	GENM	04-07-1990	
4.	2663	701310	DINESH KUMAR	RANA RAM	MBCM	11-03-2003	

- उक्त समस्त अभ्यर्थी दिनांक 07.08.2026 तक कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस को उपस्थित होकर अपने मूल दस्तावेज जाँच करायें।
- समस्त कार्मिकों की कार्यग्रहण तिथि 10.08.2026 रहेगी। इससे पूर्व किसी भी नवचयनित कार्मिक से कार्यग्रहण नहीं करवाया जायेगा।

नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार हैं :—

1. पटवार प्रशिक्षण की अवधि 6 माह की होगी। इस अवधि में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नवीनतम दरों पर प्रतिमाह की दर से संदत्त किया जायेगा। सत्र की सम्पूर्ण अवधि में उपस्थिति नियमानुसार अनिवार्य रहेगी।
2. परिवीक्षाधीन अवधि में कोई वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।
3. प्रशिक्षु पटवारी परिवीक्षाकाल में नियत पारिश्रमिक के अलावा किसी प्रकार के अन्य वेतन/भत्तों का हकदार नहीं होगा तथा न ही उसको प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय होगा।
4. अभ्यर्थियों को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 9 एवं 10 के अनुसार जिला स्तर के राजकीय स्वास्थ्य अधिकारी या उसके उच्च स्तर के अधिकारी से स्वास्थ्य के संबंध में संतोषजनक प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 07.08.2026 तक दस्तावेज सत्यापन के समय इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
5. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।

6. दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका पटवारी के पद की पे मेट्रिक्स लेवल संख्या–5 में वेतन निर्धारण कर नियमानुसार वेतन व उस पर अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।
7. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं, उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन–भत्ते देय होंगे, परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
8. परिवीक्षा अवधि में प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में 15 दिवस का आकस्मिक अवकाश देय होगा। नियुक्ति कलेण्डर वर्ष के मध्य में होने से प्रत्येक पूर्ण मास के आधार पर आनुपातिक आकस्मिक अवकाश देय होगा।
9. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु पटवारी को राजस्थान असैनिक सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम 21(1) के अन्तर्गत अपनी चल–अचल सम्पत्ति के संबंध में विवरण निर्धारित प्रपत्र (अनुसूची तृतीय) में नियुक्ति अधिकारी को राज्य सेवा में कार्यग्रहण के 30 दिवस में प्रस्तुत करना होगा।
10. यह नियुक्ति चरित्र एवं आचरण ठीक प्रमाणित होने की शर्त पर की जा रही है। यह नियुक्ति अभ्यर्थी के चरित्र संतोषजनक प्रमाणित नहीं पाया गया तो चयनित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त करने हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार नियुक्तिकर्ता को होगा तथा अभ्यर्थियों को इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाएँ एवं संलग्न किये गये प्रमाण पत्र सत्य हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई दस्तावेज/सूचना असत्य/फर्जी पाए जाने पर राज्य सरकार उनकी सेवायें समाप्त कर सकेगी। सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने तक अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रोविजनल रखी जायेगी। इस संबंध में अभ्यर्थी का नियुक्ति हेतु दावा मान्य नहीं होगा। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु पटवारी को अपने स्तर पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्तर से जारी चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र दिनांक 07.08.2026 तक दस्तावेज सत्यापन के समय इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। इसके अभाव में उपस्थिति स्वीकार्य नहीं होगी।
11. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु पटवारी को कार्यग्रहण के पश्चात् किसी पद हेतु आवेदन करने अथवा प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन करने से पूर्व अथवा उच्चतर अध्ययन के लिये परीक्षा फार्म भरने से पूर्व नियुक्ति अधिकारी से स्वीकृति/अनुमति प्राप्त करनी होगी।
12. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु पटवारी की सेवायें किसी भी समय बिना कारण बताये समाप्त की जा सकती हैं। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु पटवारी को इस आशय का अनुबंध पत्र हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा कि प्रशिक्षण के उपरान्त राज्य सरकार के अधीन पटवारी के पद पर कम से कम 03 वर्ष की सेवायें अर्जित करनी होगी। अन्यथा प्रशिक्षण पर खर्च की गई समस्त धनराशि राज्य सरकार को लौटानी होगी।
13. प्रशिक्षण समाप्ति पश्चात् होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण होने व 02 वर्ष का परिवीक्षाकाल संतोषजनक होने पर नियमानुसार पटवारी पद की सेवायें नियमित करने की कार्यवाही की जायेगी। यदि कोई प्रशिक्षाणार्थी प्रशिक्षण के पश्चात् होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता है तो उसकी सेवाएँ स्थायी नहीं की जायेगी।
14. दिनांक 01.01.2004 तथा इनके पश्चात् नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी सेवा शर्त, नियम एवं परिपत्र आदि द्वारा किये गये प्रावधान लागू होंगे।
15. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु पटवारी द्वारा सेवा में रहने के दौरान स्वयं के विवाह/पुनर्विवाह अथवा संतानों की संख्या में हुई वृद्धि/कमी के संबंध में सूचना मय प्रमाण पत्र 30 दिवस में संबंधित कार्यालयाध्यक्ष के समक्ष लिखित में दिया जाना अनिवार्य होगा।

16. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु पटवारी को प्रथम कार्यग्रहण के समय कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ. 7(1)(डीओपी)/क–2/95 दिनांक 20.06.2001 के क्रम में निर्धारित प्रारूप में संतान संबंधी घोषणा पत्र, अविवाहित होने का घोषणा पत्र (अविवाहित होने की स्थिति में लागू), विवाह में दहेज न ही लेने एवं न ही देने, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करने, धूम्रपान नहीं करने के आशय का स्वघोषणा पत्र प्रधानाचार्य, अस्थाई पटवार प्रशिक्षण शाला, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इसके अभाव में उपस्थिति स्वीकार्य नहीं होगी।

(नवनीत कुमार)
आयुक्त उपनिवेशन
बीकानेर

क्रमांकः–प.6(अ)(1)समु/प्रस्था/पट.नियुक्ति/2026/5189-5205 दिनांकः– 06-08-2026

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिव, राजस्व विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त, बीकानेर, संभाग बीकानेर।
3. निबंधक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
4. उप शासन सचिव, उपनिवेशन विभाग, जयपुर।
5. निदेशक, राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।
6. प्रधान चिकित्सा अधिकारी, बीकानेर को प्रेषित कर निर्देश है कि इस नियुक्ति आदेश के क्रम में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य की जाँच करवा कर प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में उसी दिन अभ्यर्थियों को उपलब्ध करायें।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर।
8. श्री रामप्रताप स्वामी, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, मुख्य कार्यालय बीकानेर को विभागीय वेबसाईट पर आज ही अपलोड करवाने हेतु।
9. संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री.. ।
10. निजी पत्रावली श्री/श्रीमती/सुश्री.. मार्फत प्रधानाचार्य पीटीएस, बीकानेर।
11. रक्षित पत्रावली/गोपनीय प्रकोष्ठ।

आयुक्त उपनिवेशन
बीकानेर